झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–294/2014– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड/बिहार
पो०–हिनू, राँची/पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **लतरातु जलाशय योजना अन्तर्गत लोधमा से लतरातु डैम साइट तक सम्पर्क पथ (Approach Road) के पुनर्स्थापन कार्य के लिये रू० 499.32 लाख (रूपये चार करोड़ निनान्बे लाख बत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन राँची जिले में स्थित लतरातु जलाशय योजनान्तर्गत लोधमा से लतरातु डैम साइट तक सम्पर्क पथ (Approach Road) के पुनर्स्थापन कार्य के लिये रू० 499.32 लाख (रूपये चार करोड़ निनान्बे लाख बत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. प्रस्तुत प्राक्कलन में लोधमा बाजार टाँड़ से लतरातु डैम तक निर्मित पहुँच पथ जिसकी लम्बाई 15 कि०मी० है, के मरम्मति का प्रावधान किया गया है। सड़क के ऊपरी सतह पर Bitumen की पुरानी सतह को हटाकर नयी बनाने का प्रावधान है। इस सड़क में 150 mm Thick grade-II से Pot holes को level करने का प्रावधान किया गया है। 50 mm Bituminous Macadam एवं 25mm semi dense bituminous concrete का प्रावधान किया गया है। Flanks में दोनों तरफ औसतन 35cm. मिट्टी भराई, 100mm Thick G.S.B. एवं 100mm Thick Boulder pavement का प्रावधान किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्य को 12 (बारह) महीने की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

5. (i) इस योजना पर होने वाला व्यय ''मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण,

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, तथा

(iii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातीयों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, खूँटी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा मापी एवं मरम्मति कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

9. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. प्रस्तावित कार्य की निकासी खूँटी कोषागार से की जायेगी।

11. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में उपबंध है।

12. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–294/2014– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—294/2014— ………………. /राँची, दिनांक ……………….

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—294/2014— 21/14-15 पृ. सं. /राँची, दिनांक 06.08.2014

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, खूँटी/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/14

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

06/08/14